रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265691
CG-DL-E-26082025-265691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3764] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947
No. 3764] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3869(अ)— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **5366 (अ) तारीख** 11/12/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में NH-346 के **कि.मी.** 0+000 **से कि.मी.** 87+900 तक (**झरखेड़ा-बैरसिया-विदिशा रोड़**) (**तहसील-बैरसिया**) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 **दिसम्बर** 2024" को "**हरिभूमि**" और "**फ्री प्रेस**" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और निर्धारित अवधि 21 दिन में सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 346 के कि.मी.0+000 से कि.मी. 87+900 तक (झरखेड़ा बैरसिया से विदिशा मार्ग) (तहसील-बैरसिया) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: भोपाल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बेरसिया					
गांव का नाम: करनपुरा					
1	24/1/1	सरकारी	निस्तार	0.016	मध्य प्रदेश शासन 24/1/1
2	24/1/1/1/11	निजी	सिंचित	0.044	गुंतारीलाल पुत्र भमर जी मंगल सिंह पिता चैनसिंह दौलतराम पुत्र बिहारीलाल साहू 24/1/1/1/11
3	24/1/1/1/12/1	निजी	सिंचित	0.044	सुरेश कुमार पुत्र पन्नालाल 24/1/1/1/12/1
4	24/1/1/1/8	निजी	सिंचित	0.012	सोमत सिंह पुत्र चैन सिंह विनय सिंह पुत्र चैन सिंह गुड्डू पुत्र चैन सिंह नन्नीबाई बेवा चैन सिंह घिसियाबाई बदामबाई भूरिया बाई पिता चैन सिंह 24/1/1/1/8
			Total	0.116	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3869(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O.5366**(E) Dated:11/12/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-346 B in the stretch of land (Jharkheda Berasia to vidisha Road) (Taluka-Berasia) from Km. 0+000 to 87+900 Km. in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Haribhumi" and "Free Press" both dated **19** December 2024 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, No objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-346 B in the stretch of land (Jharkheda Berasia to vidisha Road) (Taluka-Berasia) from Km. 0+000 to 87+900Km. in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			**District: BHOPAL**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Berasia					
Village: Karanpura					
1	24/1/1	Government	Nistar	0.016	Madhya Pradesh Government 24/1/1
2	24/1/1/1/11	Private	Irrigated	0.044	Guntarilal Son Bhamr ji Mangal Singh father Chain Singh Doulatram son Biharilal Sahu 24/1/1/1/11
3	24/1/1/1/12/1	Private	Irrigated	0.044	Suresh Kumar Son Pannalal 24/1/1/1/12/1
4	24/1/1/1/8	Private	Irrigated	0.012	Somat Singh Son Chain Singh Vinay Singh Son Chain Singh Guddu Son Chain Singh Nannibai Bewa Chain Singh Ghisiyabai Badambai Bhuriya Bai Father Chain Singh

					24/1/1/1/8
				Total	**0.116**	

[F. No. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.26 11:25:57 +05'30'